(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 111/2020

बउनवान

छीतरलाल पुत्र रतनलाल जाति नाथ निवासी अर्डान्द तहसील अटरू हाल निवासी पछाड तहसील छीपाबड़ौद जिला बाराँ

(अपीलांट)

बनाम

1. चन्द्रमोहन पुत्र श्री घनश्याम जाति नाथ निवासी अर्डान्द तहसील अटरू
2. हरिमोहन पुत्र श्री घनश्याम जाति नाथ निवासी अर्डान्द तहसील अटरू
3. मुकेश कुमार पुत्र श्री घनश्याम जाति नाथ निवासी अर्डान्द तहसील अटरू
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इंतकाल सं. 824 दिनांक 13.01.2020 ग्राम अर्डान्द तहसील अटरू के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री कृष्णकान्त शर्मा अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री गजेन्द्र पंचौली अभिभाषक (रेस्पो0 क्रम 1 ता 3)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 4)

निर्णय दिनांक 15.11.2021

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इंतकाल संख्या 824 दिनांक 13.01.2020 ग्राम अर्डान्द तहसील अटरू से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 17.03.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को प्रकरण संख्या 2/2020 पर दिनांक 19.03.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस को सुना। प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर ताफ़ैसला अपील राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से उक्त इंतकाल खोले जाने से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 03/2009 बउनवान चन्द्रमोहन बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 09.01.2020 तलब की गई जो प्राप्त होने पर पत्रावली का अवलोकन की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी उक्त अवैधानिक इंतकाल खुलने से पूर्व निरन्तर अपीलांट की पत्नी कन्याबाई के खातेदारी में चली आ रही थी तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बतौर खातेदार दर्ज था। किन्तु रेस्पो0 क्रम 4 ने अवैधानिक ढंग से जबरन उक्त

आराजी पर से खातेदार कन्याबाई की मृत्यु के बाद उसका नाम राजस्व रिकार्ड से हटा कर अपीलांट का नाम उसके स्थान पर दर्ज करने के बजाय मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 के नाम खोल देना निरस्तनीय है। उक्त आराजी सदैव से अपीलांट की खातेदारी में चली आ रहीं थी तथा अपीलांट के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मिलकर निर्बाध व निरन्तर रूप से उस पर कब्जा काश्त किया जाता रहा। किन्तु रेस्पो. क्रम 4 द्वारा जबरन मनमानी पूर्ण रवैया अपनाते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी पत्नी के स्थान पर उनके द्वारा स्वयं तैयार की गई कूटरचित अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर रेस्पो. क्रम 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। हिन्दू विधि अनुसार पति हीं महिला का प्रथम उत्तराधिकारी होता है, किन्तु पति को सूचित किए बिना, मात्र रेस्पोडेन्ट तथा उनके पिता के बयान स्वयं तैयार करवा कर कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति करते हुए नामान्तरण दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्टगण के द्वारा पेश की गई कूटरचित तथाकथित वसीयत अनरजिस्टर्ड दस्तावेज की कोई जांच नहीं करवाई और न हीं उसकी वैधानिकता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय में नोटेरी के बयान नहीं लिए गए। अपीलांट को दी जाने वाली सूचना की कोई नोटिस की प्रति अथवा विज्ञप्ति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। उसके लापता होने का कोई रेकार्ड नहीं है और न ही गवाहान के बयानों में अंकन है। पटवारी हल्का ने मिथ्या अंकन किया है जिसके समर्थन में कोई दस्तावेज या आधार नहीं है। अपीलांट (कन्याबाई के पति) द्वारा हीं अंतिम क्रियाकर्म किए गए, राशन कार्ड बना हुआ है तथा आज भी विवादित आराजी पर काबिज है। अंतिम संस्कार का कार्ड संलग्न है। ग्राम पंचायत सरपंच या सेक्रेटरी से कोई तस्दीक नहीं की गई। इंतकाल पूर्व जांच के बिना लीगल वारिस को सुनवाई का अवसर दिए बिना खोले जाने से निरस्त होकर पुनः जांच के बाद इंतकाल खोलकर पति छीतरलाल का नाम अंकन किया जावें। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त विवादित आराजी पर रेस्पो. क्रम 1 ता 3 के पक्ष में खोला गया इंतकाल नं0 824 दिनांक 13.01.2020 खारिज फरमाया जावे तथा बाद जांच अपीलांट का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपील मेमो में वर्णित कथन कि विवादित आराजी अपीलांट की खातेदारी में चली आ रही थी एवं अपीलांट द्वारा कब्जा काश्त करना या मुनाफा पर देना गलत है क्योंकि खाता सं0 20 की आराजी कन्याबाई पुत्री माधोलाल निवासी अर्डान्द के खाते में दर्ज थी तथा खाता सं. 19 की कन्याबाई पत्नी छीतरलाल के नाम दर्ज थी जो कन्याबाई की स्वार्जित थी। अपीलांट ने केवल इंतकाल नं. 824 के विरूद्ध अपील कर पुनः जांच की मांग की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसील अटरू ने रेस्पो. क्रम 1 ता 3 के प्रार्थना–पत्र को मिसल नं. 03/2019 पर दर्ज कर हल्का पटवारी से जांच करवायी। पटवारी की रिपोर्ट में अंकित है कि अपीलांट मृतक कन्याबाई का पति 30 वर्षो से उसके पास नहीं रहता है। यदि अपीलांट अर्डान्द में अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता या मृत्यु के समय साथ होता तो उसको वसीयत करने की जानकारी होती एवं फौती इन्तकाल खुलवाने के लिए ग्राम पंचायत में या पटवारी के पास जाता। यदि कोई नहीं सुनता तो तहसील में वसीयत के विरूद्ध कार्यवाही करता। अपीलांट ने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि अपीलांट की गांव में अपनी पत्नी के साथ रहने की बात सत्य है तो फिर समस्त कार्यवाही में उसकी सहमति हीं मानी जावेगी। 32 वर्ष पुराने राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी इसकी पुष्टि करती है क्योंकि रेस्पो0 क्रम 3 का नाम जन्मकुण्डली में दर्ज करवा रखा है। मृत्यु के समय शोक संदेश में अपीलांट का नाम अंकित एवं इसको किसी रिश्तेदार से लाकर अपील के साथ पेश करना भी इस बात की पुष्टि करता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही में उसकी सहमति है। उसने बहकावे में आकर कार्यवाही की है। वसीयत के दोनों गवाहान एवं अन्य गवाहान के बयान दर्ज कर, पूरी सुनवाई व जांच के बाद दिनांक 09.01.2020 को निर्णय पारित हुआ। तब इंतकाल नं. 824 दिनांक 13.01.2020 तस्दीक हुआ जो पूर्ण वैधानिक है। अपीलांट ने दिनांक 09.01.2020 के निर्णय को छिपाकर इंतकाल के विरूद्ध मनगढ़न्त तथ्यों पर अपील पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested

की है। वसीयत को सिविल कोर्ट में आज तक अवैध, शून्य करार करने की कार्यवाही नहीं की। अपीलांट द्वारा स्वयं के अर्डान्द का निवासी होने व कब्जा–काश्त का कोई गवाह शपथ पत्र तहसील में अथवा माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि हिन्दू विधि अनुसार पति हीं महिला का प्रथम उत्तराधिकारी होता है। जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत नोटिस जारी किए जाकर सुना जाना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि अपीलांट मृतक कन्याबाई का पति 30 वर्षो से उसके पास नहीं रहता है। यदि अपीलांट अर्डान्द में अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता या मृत्यु के समय साथ होता तो उसको वसीयत करने की जानकारी होती एवं फौती इन्तकाल खुलवाने के लिए ग्राम पंचायत में या पटवारी के पास जाता।

परिणामस्वरूप प्रकरण में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा खोला गया इंतकाल नं0 824 दिनांक 13.01.2020 वाके ग्राम अर्डान्द तहसील अटरू निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, अटरू को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक वारिसान की जांच करवाकर एवं उभयपक्ष को विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप सम्मन जारी किया जावें तथा जवाब/साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर नए सिरे से इंतकाल तस्दीक किया जावें।

निर्णय आज दिनांक **15.11.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:48:26 IST
Reason: SelfAttested